तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 03 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या 03 के वकील ने जवाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष विपक्षीगण के जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 06/08/25 को पेश हो।
06/08/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इत्तला होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 01/09/25 को पेश हो।
01/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी, उपस्थित। विपक्षी संख्या 02 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या 02 के वकील ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष विपक्षीगण के जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 15/09/25 को पेश हो।
15/09/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इत्तला होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 24/09/25 को पेश हो।
24/09/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या 02 व 03 के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस व शेष के जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 29/09/25 को पेश हो।
29/09/25	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी [illegible] उप। विपक्षी सं. 2 व 3 के वकील उप। प्रार्थी वकील [illegible] आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 CPC का [illegible] स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी वकील [illegible] संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। अतः निर्णय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अलग से लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:25 IST
Reason: SelfAttested

उनवान– सोहनसिंह के कायम मुकाम बनाम हरीसिंह वगैरा
राजस्व आवेदन सं. 08/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एसडीओ) सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 08/2024

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

प्रार्थीगण अधिवक्ता –**श्री महिपालदान चारण**

विप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता –**श्री श्रीराम विश्नोई**

विप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता –**श्री नरेश भादु, श्री मेहराराम सारण**

प्रार्थीगण	
सोहनसिंह पुत्र मूलसिंह फौत के कायम मुकाम 1. जसवन्तसिंह पुत्र सोहनसिंह 2. रूपसिंह पुत्र सोहनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण अरटा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. हरीसिंह दत्तक पुत्र सुरतसिंह (प्राकृतिक पुत्र मूलसिंह) जाति राजपूत निवासी अरटा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 2. गणपतसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी बाखासर तहसील सेड़वा। 3. पुनीत कुमार पुत्र गौतमचन्द जाति जैन निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर। 4. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

–::निर्णय::–

दिनांक :– 29.09.2025

प्रार्थीगण सोहनसिंह के कायम मुकाम जसवंतसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी अरटा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने श्रीमान के न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया, जिसमें प्रार्थीगण को सम्भावना दिनांक 2026.05.22 19:39:25 IST प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

1

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

उनवान– सोहनसिंह के कायम मुकाम बनाम हरीसिंह वगैरा
राजस्व आवेदन सं. 08/2024

पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा अरटा पटवार क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 363 रकबा 0–0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 364/442 रकबा 0–5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या 364 रकबा 17–3205 हैक्टेयर के आए हुए है, जो भूमि प्रार्थीगण पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान प्रार्थीगण के पूर्वज अणदसिंह के नाम से जारी हुआ था। प्रार्थी के दादा अणदसिंह व अजीतसिंह दो भाई थे तथा अजीतसिंह का पुत्र सुरतसिंह था तथा सुरतसिंह के कोई जायंदा संतान न होने के कारण सुरतसिंह ने अपने काकाई भाई मूलसिंह के पुत्र हरीसिंह (विप्रार्थी संख्या 01) को स्थानीय सामाजिक व हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार मौजिज लोगों के रूबरू आज से करीब 40 वर्ष पूर्व गोद ले लिया था, जिस पर विप्रार्थी संख्या 01 अपने प्राकृतिक पिता व उसकी सम्पति का हमेशा के लिए परित्याग कर अपने अपने गोदपिता सूरतसिंह के साथ चला गया तथा उसके साथ ही निवास करने लगा, सूरतसिंह के हिस्से की भूमि पर काबिज हो गया तथा सूरतसिंह के जीवनकाल में सूरतसिंह की भूमि पर ही सूरतसिंह के साथ रहकर विप्रार्थी संख्या 01 के प्राकृतिक पिता मूलसिंह की सम्पति में विप्रार्थी संख्या 01 का का कोई हक हिस्सा नहीं था, क्योंकि विप्रार्थी संख्या 01 स्व. सूरतसिंह के गोद चला गया था तथा गोद जाने वाले व्यक्ति का प्राकृतिक पिता की सम्पति में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहता है तथा उस व्यक्ति का हिस्सा गोदपिता की सम्पति में स्वयंमेव ही निहित हो जाता है तथा सूरतसिंह के फौत होन पर उनके स्थान पर विप्रार्थी संख्या 01 का दत्तक पुत्र ही हैसियत से नामांतरकरण पारित किया गया, जिससे वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा सूरतसिंह का तथा सूरतसिंह के फौत होने पर उनके दत्तक पुत्र विप्रार्थी संख्या 01 का निहित हो गया। तत्पश्चात प्रार्थी केद पिता मूलसिंह के फौत होने पर विप्रार्थी संख्या 01 हरीसिंह होशियार होने से प्रार्थी व उसके भाई खीमसिंह के साथ अपना भी नाम पटवार हल्का से मिलकर मूलसिंह के विधिक वारिसान के रूप में 1/2 हिस्से में पुनः दर्ज करवा दिया जबकि विप्रार्थी संख्या 01 उससे पूर्व ही सूरतसिंह के गोद चला गया था व उसका हक हिस्सा मूलसिंह की सम्पति में से स्वतः ही गोद जाने के दिन से ही समाप्त हो चुका था। फिर [illegible] के साथ विप्रार्थी संख्या 01 ने संयुक्त रूप से मूलसिंह के वारिस के रूप में नामांतरकरण नाम का गलत रूप से अंकन करवाया गया जो विधि विरूद्ध होने से प्रार्थी के लिए प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सेड़वा
सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

अनजान होने से उन्हें विप्रार्थी संख्या 01 की चालाकी का कोई पता नहीं चला तथा उसके बाद प्रार्थी मूलसिंह का भाई खीमसिंह लाऔलाद फौत हो गया। उसके बाद वर्तमान वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का था तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा वर्तमान में सोहनसिंह भी फौत हो चुका है, परन्तु अभी तक उनकी फौतगी का नामान्तरकरण पारित नहीं किया गया है। तत्पश्चात वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 01 ने प्राकृतिक पुत्र व दत्तक दोनों की हैसियत से वादग्रस्त भूमि में अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को अलग अलग कुल चार बेचान एक ही दिन कर दिए है तथा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया है तथा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा प्रार्थी के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप किया जाने लगा तथा प्रार्थी को बेदखल करने तथा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा आगे ओर बेचान करने की धमकियां दी जाने लगी तो प्रार्थी को अपने हक हकुक संशय प्रद लगे तो प्रार्थी ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की जांच करवाई तो हल्का पटवारी ने बताया कि मूलसिंह के वारिसान के रूप में प्रार्थी के साथ विप्रार्थी संख्या 01 का भी नाम दुबारा दर्ज करवाया है। विप्रार्थी संख्या 01 का नाम अपने प्राकृतिक पिता अर्थात प्रार्थी के पिता की सम्पति में विप्रार्थी संख्या 01 के गोद जाने के बाद भी दर्ज है जिस पर प्रार्थी ने समस्त राजस्व रेकड की जांच करवाई तो वास्तविक का पता चला। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पहले अपने दत्तक पिता के फौत पर नामान्तरकरण पारित किया गया तथा बाद अपने प्राकृतिक पिता के फौत होने पर अपना नाम प्रार्थी के साथ दर्ज करवाया जबकि विप्रार्थी संख्या 01 आज से करीब 40 वर्ष पूर्व ही सूरतसिंह के गोद चला गया था जिस कारण वादग्रस्त भूमि में मूलसिंह के हिस्से में विप्रार्थी संख्या 01 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है तथा मूलसिंह का दूसरा पत्र खीमसिंह लाऔलाद फौत होने के कारण मूलसिंह के 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि एकमात्र प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की है। चालाक विप्रार्थी संख्या 01 हरीसिंह ने प्राकृतिक पिता व गोदपिता दोनों की सम्पति हथियाने के लिए विप्रार्थी संख्या 01 ने अपने प्राकृतिक पिता मूलसिंह की स[illegible] नाम दर्ज करवा दिया जबकि विप्रार्थी संख्या 01 का हक हिस्सा अपने गोदपिता के हक [illegible] की भूमि तक ही सीमित हैं, परन्तु विप्रार्थी संख्या 01 ने अपने विधिक 1/2 हिस्से से [illegible]क भूमि का बेचान प्राकृतिक पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (BDO) केकड़ा

सहायक कलेक्टर केकड़ी

...सिंह व दत्तक पुत्र सुरतसिंह बनकर विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को कर दिया है जो बेचान प्रार्थी के 1/2 हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है, इसलिए प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में किए गये बेचान को अपने 1/2 हिस्से तक शून्य घोषित करवाकर वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दोहरा लाभ प्राप्त करने हेतु स्व. मूलसिंह के हिस्से(प्रार्थी) के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहा है तथा अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 02 व 03 को कर दिया है तथा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा उक्त भूमि को आगे बेचान करने पर आमादा है जबकि विप्रार्थी संख्या 01 का मात्र स्व. सुरतसिंह के हिस्से तक ही अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि विप्रार्थी संख्या 01 स्व. सुरतसिंह का गोदपुत्र है, ऐसी स्थिति में विप्रार्थी संख्या 01 को स्व. सुरतसिंह के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार हासिन नहीं है। इसके बावजूद भी विप्रार्थी संख्या 01 अपने नाकाम कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि मौजा अरटा पटवार क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 363 रकबा 0–0647 हैक्टेय, खसरा संख्या 364/442 रकबा 0–5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या 364 रकबा 17–3205 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी, हस्तक्षेप, निर्माण व बाधा कारित नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति में किसी प्रकार का रद्दोबदल करें तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

प्रार्थीगण वकील द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करने पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 08/2024 दिनांक 08.01.2024 मौजा अरटा पटवार क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 363 रकबा 0–0647 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 364/442 रकबा 0–5747 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 364 रकबा 17–3205 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा
4

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

उनवान– सोहनसिंह के कायम मुकाम बनाम हरीसिंह वगैरा
राजस्व आवेदन सं. 08/2024

अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते स्थगन आदेश व अस्थायी निषेधाज्ञा में लिखित जवाब पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वकील विप्रार्थी संख्या 02 ने लिखित जवाब में कथन किया कि प्रार्थी ने बेबुनियाद व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। विप्रार्थी संख्या 01 ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही विप्रार्थी संख्या 02 को प्रतिफल प्राप्त कर बेचान किया गया है तथा बेचान के अनुसार ही बेचान के दिन ही विप्रार्थी संख्या 02 को मौके पर काबिज कर दिया है, जिस कारण वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 02 मौके पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त कर रहे हैं। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को राजस्व रेकर्ड में अंकित तथ्यों के अनुसार बेचान प्रतिफल प्राप्त कर किया गया है तथा बेचान के अनुसार ही मौके पर भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया हैं, इसलिए प्रार्थी रेकर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही भूमि की घोषणा करवा सकता है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाए बिना किसी प्रकार की घोषणा नहीं करवा सकता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी नहीं है, इसलिए प्रार्थी का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

वकील विप्रार्थी संख्या 03 ने लिखित जवाब में कथन किया कि प्रार्थी ने बेबुनियाद व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। विप्रार्थी संख्या 01 ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही विप्रार्थी संख्या 03 को प्रतिफल प्राप्त कर बेचान किया गया है तथा बेचान के अनुसार ही बेचान के दिन ही विप्रार्थी संख्या 03 को मौके पर काबिज कर दिया है, जिस कारण वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 03 मौके पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त कर रहे हैं। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विप्रार्थी संख्या 03 को राजस्व रेकर्ड में अंकित तथ्यों के अनुसार बेचान प्रतिफल प्राप्त कर किया गया है तथा बेचान के अनुसार ही मौके पर भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया हैं, इसलिए प्रार्थी रेकर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही भूमि की घोषणा करवा सकता है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाए बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

(5)

किसी प्रकार की घोषणा नहीं करवा सकता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी नहीं है, इसलिए प्रार्थी का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में ताफैसला स्थगन आदेश को कंफर्म किया जावें। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हिन्दू दत्तक ग्रहण की विधि–मान्यता– विधि के प्रसंग प्रस्तुत किए, जिसका अवलोकन किया गया।

वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त अवलोकन किया गया। जिस पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध संबद्ध दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब को न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारणोपरांत स्वीकार किया जाता है तथा उक्त विवेच्य तथ्यों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व आवेदन संख्या 08/2024 में दिनांक 08.01.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत जारी मौके एवं रेकर्ड के स्थगन को निरस्त किया जाता है तथा उक्त विवेचना के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 युक्तियुक्त नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सेडवा

29.09.2025

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

सहायक कलक्टर (SDO) सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:25 IST
Reason: SelfAttested